

3) श्री जय पण्डेय पिता-स्व. वि. कुमार (अब मृतक) डीड नं.-11295 तिथि 29.09.2005. चौहद्दी: उत्तर-निज मन मौकिक, दक्षिण-नहर, पूरब-निज मन मौकिक, पश्चिम-निज मन मौकिक।	पण्डेय (कानूनी वारिस)	पण्डेय (अब मृतक)
4) श्री कमलेश कुमार पण्डेय पिता-स्व. शिव परसन पण्डेय (जमानतदार)		
5) श्री बिमलेश कुमार पण्डेय पिता-स्व. शिव परसन पण्डेय (जमानतदार)		
सभी निवासी: ग्राम-ठाकुर हाट, पो.-सबर, थाना-करमचाट, जिला-कैमूर, बिहार-821104		

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होगी।

1. संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 17/07/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbndia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक



punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक !

...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल काम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnbbank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एलतुद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभारकर्ता(ओं), जमानतदार(रों) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की कच्चा राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बचाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अवल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्तियों का बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत प्रांग सूचना की तिथि ख) प्रांग सूचना के अनुसार बचाना राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि। घ) कच्चे का प्रकार सांकेतिक/प्रीतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बचाना राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईएमपी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	शाखा: सोहन (315900) मेसर्स सुपन मिनी राइस मिल, पो.प.-श्री जयशंकर सिंह खाता नं. -3159008700001109 श्री जय शंकर सिंह (उपभारकर्ता) आवासीय पता: ग्राम-वाई नं.-18, भुआ कृष्ण बाईपास रोड, पो.-भुआ, थाना-कैमूर, बिहार-821101	1. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो मौजा-भुआ, सब डिविजन-कैमूर, जिला-कैमूर, खाता नं.-82, प्लॉट नं.-80/710, वाई नं.-18, रकबा-11.50 हिसमिल, रजिस्टर्ड बंधक डीड नं.-6738 तिथि 29.11.2016, चौहद्दी: उत्तर-रयाम साह, दक्षिण-नार सिंह, पूरब-रास्ता, पश्चिम-निज। 2. अचल सम्पत्ति का सभी भाग एवं अंश जो मौजा-भुआ, सब डिविजन-कैमूर, जिला-कैमूर, खाता नं.-82, प्लॉट नं.-72/710, वाई नं.-18, रकबा-07.00 हिसमिल, रजिस्टर्ड बंधक डीड नं.-6738 तिथि 29.11.2016, चौहद्दी: उत्तर-जगत साह, दक्षिण-मदन साह, पूरब-निज, पश्चिम-जोखन। बंधककर्ता: श्री जय शंकर सिंह पिता-श्री राम बचन सिंह।	क) 25.08.2025 ख) रु. 1,07,22,862.33/- + आगे का व्याज एवं अन्य शुल्क ग) 19.11.2025 घ) सांकेतिक ङ) रु. 1,12,29,504.45/- (रु. एक करोड़ बारह लाख उनतीस हजार पांच सौ चार एवं पैसे पैतालीस मात्र) 31.05.2026 तक + आगे का व्याज एवं शुल्क/खर्च।	क) रु. 1,56,36,780/- ख) रु. 15,63,678/- ग) रु. 50,000/- (क्र. सं.-1 एवं 2 को सम्पत्ति के लिए)	04.08.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00 तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होगी।

1. संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।